2954
अ/113

1/2

अनुसूची — फारम संख्या– 562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक अंतर्गत न्यायालय भूमि सुधार उप समा० सदर, दरभंगा।

भूमि विवाद वाद संख्या 88 सन 2013-14

श्री रामनारायण झा बनाम श्री कृष्णमोहन मिश्र।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
20.06.13	आदेश सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद श्री रामनारायण झा पि० श्री जीवकान्त झा सा०-मुरैठा थाना-व अंचल-जाले, जिला-दरभंगा द्वारा दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा-मुरैठा अंचल-जाले अंतर्गत खाता-280 (पु०) 610 (नया) खेसरा-4871 (पु०) 6543 (नया) रकबा 07 जमीन विपक्षी द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, जबकि उक्त जमीन से विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। वादी के अनुसार प्रश्नगत खाता/खेसरा का रकबा 01 कट्ठा 07 धुर जमीन वादी को खतियानी रैयत जीवकान्त झा वगै० से प्राप्त है तथा इस जमीन का रकबा हाल सर्वे खतियान में 06 डी० अंकित है। इनके अनुसार प्रश्नगत जमीन पर वादी स्वामित्व व हाल दखल-कब्जा में है तथा इस जमीन का हाल सर्वे खतियान भी वादी के पिता के नाम से बना है। इनके अनुसार प्रश्नगत जमीन पर वादी का आवासीय मकान रूप पहले निर्मित है तथा इस जमीन की जमाबंदी नं०-22 भी वादी के नाम	

क्रमशः

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	से चला रही है तथा वादी द्वारा लगान का भुगतान किया जा रहा है। इनके अनुसार विपक्षी को प्रश्नगत जमीन से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा वादी के खेसरा 6543 की जमीन में से 07 धुर रकबा पर जबरदस्ती दीवाल देकर घेर लिया गया है। इनका अनुरोध है कि प्रश्नगत खेसरा के 07 धुर जमीन से विपक्षी का अवैध दखल-कब्जा हटाया जाय तथा उसपर वादी को दखल कब्जा दिलाया जाय, साथ ही, उक्त जमीन के उपयोग में वादी को अवरोध उत्पन्न करने से विपक्षी को प्रतिबंधित किया जाय। सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इनके अनुसार विपक्षी के परदादा को भागिनमान के रूप में बसने हेतु जगत लाल मिश्रा द्वारा 05 डी० जमीन खेसरा 2690 (पु०) 6756 (नया) से दिया गया तथा उक्त जमीन पर विपक्षी का अपने पूर्वजों के समय से ही दखल-कब्जा रहा है तथा इस जमीन का हाल सर्वे खतियान विपक्षी के पिता एवं चाचा के नाम से बना है। इनके अनुसार विपक्षी द्वारा अपने उपरोक्त जमीन के नापी हेतु अंचल अधिकारी, जाले को सितम्बर 2012 में आवेदन दिया गया था लेकिन स्थल पर जलजमाव होने के कारण इस जमीन की नापी नहीं हो सकी। इनके अनुसार वादी के प्रश्नगत खेसरा 4871 (पु०) एवं	

क्रमशः

फारम संख्या– 562।

42

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक ....

भूमि विवाद वाद संख्या .... 88 ...... सन् 2013-14

.... बनाम ....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	एवं 6543 (नया) से विपक्षी का कोई सरोकार नहीं है तथा विपक्षी द्वारा वादी की कोई जमीन अतिक्रमित नहीं की गई है। उनका कहना है कि वादी के आवेदन को खारिज कर दिया जाय। उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद सीमांकन से संबंधित है। अतएव, विचारोपरांत वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत जमीन के सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी, जाले के समक्ष अपना आवेदन दें तथा अंचल अधिकारी, जाले को आदेश दिया जाता है कि वे वादी से नियमानुसार नापी शुल्क जमा कराकर उभय पक्ष को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करायेंगे तथा सीमांकन के दौरान यदि वादी की जमीन में विपक्षी का कोई अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे थानाध्यक्ष, जाले के सहयोग से हटवायेंगे। इस आदेश की प्रति अं० अ० जाले एवं थानाध्यक्ष, जाले को भेजें। लेखापित। ह० 20/6/17 भूमि सुधार उपसमा०, सदर, दरभंगा। ह० 20/6/17 भूमि सुधार उपसमा०, सदर, दरभंगा।	ज्ञापांक 2064 दिनांक 27-12.13